




An ISO 9001:2015 certified




झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,  
धुर्वा, राँची - 834 004  
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फ़ैक्स-2444506  
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

**Jharkhand Education Project Council, Ranchi**

**Notice for Employment**

State Project Director, Jharkhand Education Project Council, Ranchi has invites application from eligible Civil Engineers having educational qualification of B.Tech./B.E in Civil Engineering with minimum 55% marks for the 09 vacant posts of **Assistant Engineers** and 05 post of **Executive Engineers** at various district / divisional head quarter locations of Jharkhand on short term contractual basis. Eligible retired / working Executive Engineers / Assistant Engineers with required experience in relevant filed of building construction with Govt. of India / State Govt. and other Centrally Sponsored Schemes may also apply for working on lien / deputation / contract basis. Application format, qualification, experience required and other detailed information can be seen on official website of JEPC, "<https://jepc.jharkhand.gov.in/>". Last date for filling of application is 10-01-2022.


  
(Kiran Kumari Pasi)  
State Project Director,  
JEPC, Ranchi

Memo No:

ME/01/393/2006/2021-22/2453

Ranchi/Dated: 23/12/2021

Copy to : Director, Department of Public Relation, Ranchi for publishing in two-three leading news paper of Jharkhand on ...../12/2021.


  
(Kiran Kumari Pasi)  
State Project Director,  
JEPC, Ranchi


Memo No:

ME/01/393/2006/2021-22/2453

Ranchi/Dated: 23/12/2021

Copy to : Director, BIT Mesra / Director, BIT Sindri / Director, IIT (ISM) Dhanbad for publication on placement cells notice board of the college.

  
(Kiran Kumari Pasi)  
State Project Director,  
JEPC, Ranchi



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

### आवश्यक सूचना

- राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से जो इस प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत निम्नांकित पदों हेतु वांछित अहर्ता रखते हों से निम्नांकित शर्तों के अधीन चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमांत्रित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वांछित अहर्ता	कुल रिक्ति	देय परिलब्धि
1	सहायक अभियंता	09	1. किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण प्रतिष्ठान/ विश्वविद्यालय से B.Tech./ B.E in Civil Engineering with minimum 55% marks. 2. संबंधित भवन निर्माण के क्षेत्र में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान अथवा प्रतिष्ठित संस्थाओं में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।	कुल - 09 (ST - 05, SC - 03, EWS - 01)	Gross Salary Rs. 33,145/- per month (For Districts of Ranchi, Dhanbad, Bokaro and Jamshedpur only) and Other districts 28,900/-/month) 1. Basic Pay (fixed) 22,136/-
2	कार्यपालक अभियंता	05	1. किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण प्रतिष्ठान/ विश्वविद्यालय से B.Tech./ B.E in Civil Engineering with minimum 55% marks. 2. कार्यपालक अभियंता के पद पर चयन हेतु सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता जिन्हें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव हो अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केन्द्र प्रायोजित	कुल - 05 (UR - 02, ST - 01, SC - 01, BC - I - 01)	1. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को चयन के पश्चात् वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1243/वि. दिनांक 20.08. 2016 (छायाप्रति संलग्न) के सनहित प्रावधानों के अन्तर्गत संविदा राशि देय होगी। 2. वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रतिनियुक्ति अथवा Lien के आधार पर होगा उन्हें झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के सेवा शर्तों एवं Financial Manual के अधीन देय प्रोजेक्ट भत्ता उनके मूल विभाग के वेतन के



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,  
धुर्वा, राँची - 834 004  
दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506  
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वांछित अहर्ता	कुल रिक्ति	देय परिलब्धि
			योजनाओं में कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। प्रतिनियुक्ति अथवा धारणाधिकार (Lien) पर कार्य करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।		अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

### 2. न्यूनतम शैक्षणिक, तकनीकी अहर्ता एवं कार्य अनुभव :-

- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक Civil Engineering में डिग्री या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अर्थात शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक, तकनीकी अहर्ता एवं कार्य अनुभव नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए आयोग्य समझे जायेंगे।
- झारखण्ड राज्य कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4768 दिनांक 13-09-2021 and subsequent Staff Selection Commission notification no. 7947 dated 17-11-2021 the conduct rule of examination by Staff Selection Examination has been amended and the following provisions have been added as qualification for selection for Government of Jharkhand posts (Graduate level and above).

“उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए झारखण्ड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति- रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

यदि राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर चयन होने वाले इन पदों के लिए भी निम्न दिशा-निर्देश लागू किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी के चयन हेतु लागू है तो इसका प्रभाव इस प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चयन किए जाने वाले पदों की अहर्ता पर भी पड़ेगा।

तदनुसार इन पदों के लिए भी उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी अहर्ता के साथ-साथ कंडिका- 2(ii) के द्वारा भी चयन हेतु आवश्यक अहर्ता निर्धारित की जा सकती है।



### 3. आयु सीमा :-

- न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि 01.08.2021 होगी।
- सहायक अभियंता के पद हेतु निर्धारित उम्र सीमा निम्नवत् होगी :-
  - न्यूनतम उम्र सीमा - 21 वर्ष
  - अधिकतम उम्र सीमा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

क्र.सं.	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1	अनारक्षित	35 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)- पुरुष	37 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2))	38 वर्ष
4	अनुसूचित जन-जाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

### आयु सीमा में छूट -

- सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में दिव्यांगता का दावा तभी मान्य होगा जब दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता दिव्यांगता के आधार पर मान्य नहीं होगी।
- झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत कार्यरत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता जो चयन हेतु निर्धारित अहर्ता रखते हों उन्हें उपरोक्त निर्धारित आयु सीमा में परियोजना अन्तर्गत किए गए कार्य वर्षों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी।
- भुतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- कार्यपालक अभियंता के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों जो सेवानिवृत्त हैं उनके लिए अधिकतम आवेदन करने की उम्र सीमा उपरोक्त निर्धारित तिथि को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति/Lien पर आवेदन करने वाले जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव हो अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो के लिए अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सरकारी सेवा के लिए अधिकतम उम्र सीमा है अर्थात् 60 वर्ष से न्यून होना चाहिए।

### 4. पात्रता :-

चयन हेतु आवेदन करने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र/साक्षात्कार पत्र/प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं। चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के दौरान किसी भी



**झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्**  
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,  
धुर्वा, राँची - 834 004  
दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फ़ैक्स-2444506  
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified


समय या बाद में अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान यदि आवेदक द्वारा भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा सत्यापन में अनियमित अथवा अवैध पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी का आरक्षण, अन्य लाभ नहीं मिलेगा तथा अभ्यर्थिता / चयन किसी भी वक्त रद्द किया जा सकता है।

5. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के दिशा-निदेशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण कोटि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उसी तरह जैसे अभ्यर्थी जो EWS श्रेणी हेतु आवेदन करेंगे उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Income and Assets Certificate for Economically Weaker Sections प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- दिनांक ~~30.12.2021~~ 10.01.2022, ↓

7. चयन संबंधी दिशा-निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं -

1. चयनित होने वाले पदाधिकारी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इसे विस्तारित किया जाएगा।
2. कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध को एक माह का नोटिस देकर बिना कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।
3. योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में निबधित डाक से राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3, धुर्वा, राँची - 834 004 के कार्यालय में सभी वांछित अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 30/12/2021 के संध्या 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। इस समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन से संबंधित विहित प्रपत्र झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारिक वेबसाईट "<https://jepc.jharkhand.gov.in>" पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा-निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।
4. योग्य अभ्यर्थियों का चयन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
5. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ अभिप्रमाणित शैक्षणिक/ तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. असैनिक सहायक अभियंता को संबंधित जिले के समग्र शिक्षा अभियान एवं अन्य असैनिक योजनाओं से संबंधित कार्यों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह होंगे तथा राज्य स्तर से दिए गए दिशा-निदेशों के अनुरूप प्रतिवेदन एवं निर्णयों के लिए जवाबदेह होंगे। उसी तरह कार्यपालक अभियंता झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र से संबंधित असैनिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह होंगे तथा राज्य स्तर से दिए गए दिशा-निदेशों के अनुरूप प्रतिवेदन एवं निर्णयों के आलोक में कार्य करेंगे।



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फ़ैक्स-2444506

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

7. परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप अंतिम चयन तथा किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने तथा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, जे.ई.पी.सी. के पास सुरक्षित रहेगा।

(किरण कुमारी पासी)

राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,  
राँची।

ज्ञापांक: ME/01/393/2006/2021-22/2453 राँची, दिनांक: 23.12.2021  
प्रतिलिपि:

1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
2. असैनिक कार्य प्रबंधक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)

राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,  
राँची।

ज्ञापांक: ME/01/393/2006/2021-22/2453 राँची, दिनांक: 23.12.2021

प्रतिलिपि: श्री सचिन कुमार, एम.आई.एस. समन्वयक-सह-तकनीकी समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन सामग्री एवं आवेदन का प्रारूप को जे.ई.पी.सी. के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(किरण कुमारी पासी)

राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,  
राँची।

ज्ञापांक: ME/01/393/2006/2021-22/2453 राँची, दिनांक: 23.12.2021

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी, जे.ई.पी.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस विज्ञापन सामग्री को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(किरण कुमारी पासी)

राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,  
राँची।